निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1945 (श0)

(सं0 पटना 280) पटना, शुक्रवार, 31 मार्च 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

28 मार्च 2023

सं० 06/योजना (सिटी बस)–05/2022–2147—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) डीजल चालित सिटी बसों, जिनसे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव के कारण ऐसे वाहनों का परिचालन चरणबद्ध ढ़ंग से प्रतिबंधित किया जाये।

2. अतः सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर (In the interest of Public Safety & Convenience) दिनांक–30.09.2023 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाता है।

3. इस प्रतिबंध से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटरवाहन अधिनियम की धारा–116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपर्युक्त यातायात चिन्ह् प्रदर्शित किये जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 280-571+10-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in